न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेडा जिला शाहपुरा (राज0)

मर्ग संख्या 03 सन् 2024 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 174 जा.फौ.

सरकार जरिये थानाधिकारी रायला बनाम अज्ञात

आदेशिका

दिनांक **23.09.2024**

पत्रावली पेश हुई। थानाधिकारी रायला की ओर से प्रस्तुत मर्ग प्रकरण संख्या 03/2024 थाना रायला में अनुसंधान प्रक्रिया पूर्ण की जाकर मर्ग पत्रावली अपेक्षित स्वीकृति हेतू इस न्यायालय को प्राप्त हुई। मर्ग पत्रावली का अवलोकन/परीक्षण किया गया। मृतक श्री रामलाल पिता लादूलाल जाट उम्र 55 वर्ष निवासी लाम्बिया कलां थाना रायला जिला शाहपुरा की दिनांक 29.01.2024 को खेत पर काम करते समय करण्ट लगने से मृत्यु हुई है, यह अनुसंधान प्रतिवेदन में दर्शाया गया है। मृत्यु की पुष्टि मेडिकल ऑफिसर द्वारा तैयार शुदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं गवाहान के बयानों के आधार पर होना पाया गया। अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट गवाहन के पंजीबद्ध बयानों की ताईद करती है। पुलिस अनुसंधान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का आक्षेप एवं आपत्ति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में थाना रायला के मृग प्रकरण संख्या 03/2024 में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान नतीजों के अनुसार खेत में काम करते समय करण्ट लगने से मृत्यु होने में किसी प्रकार का शक अथवा शगुफा होना नहीं पाया जाता है। अतः पुलिस नतीजा रिर्पोट अकाल मृत्यु में मर्ग स्वीकार क़िया जाता है। मर्ग पत्रावली सम्बंधित थाने में पुनः लौटाई जावें।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बनेड़ा
जिला–शाहपुरा

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बनेडा, जिला शाहपुरा

क्रमांक / न्याय / मर्ग संख्या 03 / 2024 / 1572 दिनांकः 23.09.2024

पुलिस उप–अधीक्षक,
वृत शाहपुरा
जिला–शाहपुरा।

विषयः धारा 174 जा.फौ. में स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत थाना रायला की मृग सं. 03 / 2024 थाना रायला धारा 174 जा.फौ. विषयक प्रकरण बाद अवलोकन / परिक्षण हेतु मृतक के सभी गवाहन एवं संबंधियों से दुरभाष से सम्पर्क कर प्रकरण के सम्बंध में पुछताछ की गई अवलोकन / परिक्षण यह तथ्य प्रमाणित है कि मृतक श्री रामलाल पिता लादूलाल जाट उम्र 55 वर्ष निवासी लाम्बिया कलां थाना रायला जिला शाहपुरा की दिनांक 29.01.2021 को खेत में काम करते समय करण्ट लगने के कारण अकाल अचानक मृत्यु हुई है। जिसको करीब 05 माह व्यतीत हो चुके है एवं दौराने अनुसंधान किसी प्रकार की, किसी के द्वारा, किसी के विरूद्ध कोई शंका नहीं की गई है। अतः अन्तिम प्रतिवेदन मर्ग संख्या 03 / 2024 थाना रायला स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है।

अतः प्रकरण के नियमानुसार निस्तारण हेतु मूल पत्रावली सलंग्न कर प्रेषित है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार
मूल पत्रावली

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बनेडा
जिला–शाहपुरा